"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2017— माघ 7, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2017

क्रमांक 879/डी. 19/21-अ/प्रारू./छ. ग./17 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 2 सन् 2017) एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 2 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला (संशोधन) अध्यादेश, 2017

छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006 (क्र. 22 सन् 2006) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत:, राज्य विधान मंडल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला (संशोधन) अध्यादेश, 2017 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार ऐसे क्षेत्र पर होगा जिसे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर राजपत्र में राजिम कुंभ मेला क्षेत्र अधिसूचित किया जाये.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006 (क्र. 22 सन् 2006) को अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), इस अध्यादेश की धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुये, प्रभावी होगा.

मूल अधिनियम का संशोधन.

3. मूल अधिनियम में, जहां कहीं भी शब्द "कुंभ मेला" आया हो के स्थान पर, शब्द "कुंभ (कल्प) मेला" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2017

क्रमांक 879/डी. 19/21-अ/प्रारू./छ. ग./17.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-1-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE

(No. 2 of 2017)

THE CHHATTISGARH RAJIM KUMBH MELA (AMENDMENT) ORDINANCE, 2017

An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Rajim Kumbh Mela Act, 2006 (No. 22 of 2006).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Rajim Kumbh Mela (Amendment) Ordinance, 2017.

(2) It shall extend to such area as may be notifed in the Official Gazette, by the State Government, as the Rajim Kumbh Mela Area, from time to time.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

The Chhattisgarh Rajim Kumbh Mela Act, 2006 (No. 22 of 2006) to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Rajim Kumbh Mela Act, 2006 (No. 22 of 2006), (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have the effect subject to the amendment specified in Section 3 of this Ordinance.

Amendment of the Principal Act.

3. In the Principal Act, for the word "Kumbh Mela" wherever they occur, the word "Kumbh (Kalp) Mela" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.